

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चउवन'

[21/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 6630]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6630

कृषकों को स्वयं की भूमि से रेत हटाकर विक्रय हेतु अनुमति बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र/
प्रदत्त अनुमति/लंबित आवेदन पत्रों का विवरण
(प्रश्नांश 'क' एवं 'ख')

क.	जिला	प्रश्नांश अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्र (संख्या)	प्रश्नांश अनुरूप प्रदत्त अनुमति (संख्या)	प्रश्नांश अनुरूप लंबित आवेदन पत्र (संख्या)	अनुमति नहीं दिये जाने का कारण
1	जबलपुर	0	0	0	-
2	कटनी	1	0	0	म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के कारण 1 आवेदन निरस्त
3	छिन्दवाडा	17	1	16	जिला स्तर पर लंबित
4	बालाघाट	81	16	65	जिला स्तर पर लंबित
5	नरसिंहपुर	10	3	0	म.प्र. शासन के निर्देशानुसार 7 आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये हैं।
6	सिवनी	5	1	4	जिला स्तर पर लंबित
7	मण्डला	0	0	0	-
8	डिण्डीरी	1	1	0	-
9	सागर	0	0	0	-
10	दमोह	0	0	0	-
11	पन्ना	16	0	14	2 आवेदन पत्र निरस्त एवं 14 आवेदन पत्र जिला स्तर पर लंबित
12	छतरपुर	82	5	77	जिला स्तर पर लंबित
13	टीकमगढ़	0	0	0	-
14	रीवा	1	1	0	-
15	सीधी	5	0	5	अस्थायी अनुज्ञा प्रदान न होने के कारण लंबित
16	सिंगरौली	0	0	0	-
17	सतना	1	0	1	शासनादेश के परिपेक्ष्य में अनुमति न होने के कारण लंबित
18	शहडोल	0	0	0	-
19	अनूपपुर	0	0	0	-
20	उमरिय	3	0	3	शासनादेश के परिपेक्ष्य में अनुमति न होने के कारण लंबित
21	भोपाल	0	0	0	-
22	सीहोर	0	0	0	-
23	रायसेन	0	0	0	-
24	राजगढ़	0	0	0	-
25	विदिशा	6	0	6	जिला स्तर पर लंबित

जिला	प्रश्नांश अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्र (संख्या)	प्रश्नांश अनुरूप प्रदत्त अनुमति (संख्या)	प्रश्नांश अनुरूप लंबित आवेदन पत्र (संख्या)	अनुमति नहीं दिये जाने का कारण	
26	होशंगाबाद	22	0	22	कार्यवाही प्रचलन में है।
27	हरदा	0	0	0	-
28	बैतूल	3	1	1	1 आवेदन पत्र निरस्त, 1 आवेदन पत्र लंबित
29	इन्दौर	0	0	0	-
30	धार	0	0	0	-
31	खण्डवा	0	0	0	-
32	बुरहानपुर	0	0	0	-
33	खरगोन	1	0	1	जॉच प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण लंबित
34	बडवानी	0	0	0	-
35	झाबुआ	0	0	0	-
36	अलीराजपुर	0	0	0	-
37	उज्जैन	0	0	0	-
38	देवास	0	0	0	-
39	मंदसौर	0	0	0	-
40	नीमच	0	0	0	-
41	रतलाम	0	0	0	-
42	शाजापुर	0	0	0	-
43	आगर-मालवा	0	0	0	-
44	ग्वालियर	5	0	0	5 आवेदन पत्रों में रेत की उपलब्धता न होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं की गई।
45	गुना	0	0	0	-
46	अशोकनगर	0	0	0	-
47	शिवपुरी	9	0	0	9 प्रकरणों में राज्य शासन के दिये गये निर्देशानुसार निरस्त किये गये।
48	दतिया	49	12	37	37 प्रकरण जिला स्तर पर लंबित
49	भिण्ड	14	0	14	कार्यवाही प्रचलन में है।
50	मुरैना	84	43	0	41 आवेदन पत्र निरस्त
51	श्यापुर	0	0	0	-

अनुभाषि अधिकारी
बिधापुरी
आजित

संचालक
T.M.P.

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क. एफ 19-6/2016/12/2

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले, (म0प्र0)।

विषय:- पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट के प्रकरणों में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68(6) के अंतर्गत रेत खनिज के संबंध में जारी निर्देश।

संदर्भ:- समसंख्यक निर्देश दिनांक 29.04.2016

राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञापन दिनांक 29.04.2016 में यह निर्देश दिये गये थे कि, बाढ़ के दौरान निजी भूमि पर एकत्रित रेत को हटाने के पश्चात कृषि भूमि विकसित हो सके। परन्तु यह तथ्य ध्यान में आया है कि, इस निर्देश का पालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(5) में यह प्रावधान है कि, निजी भूमि पर रेत खनिज की उत्खनन अनुज्ञा विधि अनुसार स्वीकृत की जा सकती है। अतः पूर्ण विचारोपरान्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 29.04.2016 एवं इसके अनुक्रम में जारी समस्त निर्देशों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे.पी. श्रीवास्तव)

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृ. क. एफ 19-6/2016/12-2

भोपाल, दिनांक 22-12-16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अनुमोदित अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग